न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 53/2022

–:आदेश:–

26/12/22 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 1441, दिनांक– 23.11.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका रमनी देवी, पिता– झंगल टुडु, पति– लखीराम टुडू, साकिम– गहिरा, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– गहिरा, मौजा नं0– 218, गत् खाता नं0– 11, गत् प्लॉट नं0– 69, हाल खाता नं0– 75, हाल प्लॉट नं0– 99,101,104, क्रमशः रकवा–08 डि0+ 03डि0+ 14 डि0= 25 डिसमील भूमि मुखी मेझियाईन, पिता– वासुदेव सोरेन, पति– स्व0 सुनिल मांझी, साकिम– बरवा, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के संथाल है तथा दोनो एक ही थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के बाद आवेक के पास 24.56 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 11:47:40 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner